

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

// अधिसूचना //

नवा रायपुर, दिनांक 7 दिसंबर 2019

क्रमांक एफ 20-68/2019/11/6 : राज्य शासन एतद् द्वारा औद्योगिक नीति 2019-24 की कंडिका-15.1 में वर्णित तालिका के बिन्दु क्रमांक-18 तथा परिशिष्ट-6.18 के प्रावधानों के अनुरूप में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु अधिसूचित "परिवहन अनुदान" योजना को क्रियान्वित एवं अधिसूचित करने हेतु दिनांक 01 नवंबर, 2019 से प्रभावी "छत्तीसगढ़ राज्य परिवहन अनुदान (केवल निर्यातोन्मुख उद्योगों हेतु) नियम 2019" निम्नानुसार लागू करता है :-

1 परिचय :-

राज्य में औद्योगिक इकाइयों को उनके द्वारा निर्मित उत्पादों वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में परिवहन अनुदान (केवल निर्यातोन्मुख उद्योगों हेतु) योजना लागू की गई है ।

2 परिभाषाएं :-

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु परिभाषाएं, वहीं मान्य होंगी जो औद्योगिक नीति 2019-24 के "परिशिष्ट-1" पर दी गयी हैं ।

3- नियम -

"परिवहन अनुदान (केवल निर्यातोन्मुख उद्योगों हेतु) योजना" को क्रियान्वित करने के लिये बनाये गये यह नियम "छत्तीसगढ़ राज्य परिवहन अनुदान (केवल निर्यातोन्मुख उद्योगों हेतु) नियम 2019" कहे जावेंगे ।

4- पात्रता -

(1) औद्योगिक नीति 2019-24 की कालावधि, दिनांक 01 नवंबर, 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर, 2024 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले (औद्योगिक नीति 2019-24 के अन्तर्गत परिशिष्ट-4 में दर्शाये गये संतृप्त श्रेणी के उद्योगों तथा परिशिष्ट-5 में दर्शाये गये कोर सेक्टर उद्योगों को छोड़कर) समस्त राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान उद्योग (इकाई के उत्पादन प्रारंभ करने के समय लागू औद्योगिक नीति में उल्लेखित संतृप्त श्रेणी तथा कोर सेक्टर के उद्योगों को छोड़कर) सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा एवं अल्ट्रोमेगा प्रोजेक्ट उद्योगों को उनके उत्पाद / उत्पादन के निर्यात हेतु अनुदान की पात्रता दिनांक 01 नवंबर, 2019 के पश्चात् राज्य में स्थापित शत प्रतिशत निर्यातक इकाई के द्वारा उत्पादित कर इस नीति के अवधि में प्रथम बार निर्यातित की गई सामग्री के परिवहन पर हुए वास्तविक व्यय के आधार पर पात्रतानुसार अनुदान की पात्रता होगी ।

(2) औद्योगिक इकाईयों को दिनांक 01 नवंबर, 2019 के पश्चात् प्रथम निर्यात दिनांक या अधिसूचना जारी होने के दिनांक/जो पश्चात्वर्ती हो, से 15 दिवस की कालावधि के भीतर पूर्ण रूपेण आवेदन करना होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अधिसूचना के अधीन परिवहन अनुदान (केवल निर्यातोन्मुख उद्योगों हेतु) हेतु आवेदन किसी भी परिस्थिति में औद्योगिक नीति की समयावधि के पश्चात् की अवधि के दावे स्वीकार नहीं होंगे। यदि किसी इकाई का वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से एक वर्ष की अवधि की समयावधि औद्योगिक नीति की समाप्ति/नीति की बढ़ाई गई अवधि के पश्चात् आती है, तो संबंधित इकाई के लिए आवेदन की अंतिम तिथि वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से एक वर्ष मानी जावेगी। इस अनुदान हेतु इकाईयों को हर 6 माह में किये गये निर्यात के आधार पर इन नियमों में वर्णित अन्य प्रावधानों के अनुरूप अनुदान राशि का दावा समयावधि समाप्त होने से 90 दिवस के भीतर संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(3) उद्योग में परिवहन अनुदान पंजीयन स्वीकृति होने के दिनांक/अनुसंधान स्वीकृति होने के दिनांक या वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक, जो पश्चात्वर्ती हो, से न्यूनतम 05 वर्ष तक इकाई के उत्पादन प्रारंभ करने के समय लागू करने की नीति के अनुसार रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किये जाने पर ही अनुदान की पात्रता होगी।

(4) औद्योगिक नीति 2019-24 की कंडिका 21 के अनुसार राज्य शासन द्वारा पृथक से चिन्हांकित/अधिसूचित, उद्योग से संबंधित एमएसएमई सेवा श्रेणी उद्यमों को भी सामान्य उद्योगों की भांति अनुदान की पात्रता होगी।

5- प्रक्रिया व अधिकार -

5.1- पात्र औद्योगिक इकाईयों को निम्नांकित दस्तावेजों के साथ विभागीय वेबसाईट में ऑनलाईन आवेदन करना होगा। अपूर्ण आवेदन एक बार में ही कमियां बताते हुए वापिस किये जावेंगे -

- (1) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी लघु उद्योग पंजीयन/ई.एम. पार्ट-1/उद्यम आकांक्षा/ आई0ई0एम0 /औद्योगिक लायसेंस /आषय पत्र
- (2) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट-2 / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र/सेवा गतिविधि प्रमाण पत्र।
- (3) भारत सरकार द्वारा जारी L.O.P. (Letter of Permission) की वैध प्रति ।
- (4) IEC (Import Export Code) की वैध प्रति ।
- (5) COO (Certificate of Origin) की प्रति ।
- (6) निर्यात (क्रय) आदेश की प्रति ।
- (7) Commercial Invoice Cum Packing List की प्रति ।
- (8) Bill of Lading/Airway Bill की प्रति ।
- (9) Railway Receipt/Lorry Receipt की प्रति ।
- (10) Shipping Bill/ Bill of Export की प्रति ।

नोट :-1. किसी भी मध्यस्थ के माध्यम से किए गए निर्यात पर अनुदान की पात्रता नहीं होगी ।

2. पंजीकृत उत्पाद के अलावा किये गये निर्यात पर अनुदान की राशि देय नहीं होगी ।

5.2— मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के प्रकरणों में प्रस्तुत स्वत्व का परीक्षण कराकर "स्वत्व" के नियमों के अधीन होने पर "उपाबंध-1" में निर्धारित प्रारूप पर "स्वीकृति आदेश" जारी किया जावेगा

सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा एवं अल्ट्रोमेगा प्रोजेक्ट उद्योगों का स्वत्व नियमानुसार न होने पर निरस्तीकरण आदेश जारी किया जावेगा, जिसमें स्वत्व के "निरस्तीकरण" का कारण व निरस्तीकरण आदेश से औद्योगिक इकाई के सहमत न होने की स्थिति अपीलीय अधिकारी को निर्धारित अवधि 45 दिवसों में अपील करने संबंधी प्रावधान का भी उल्लेख होगा ।

5.3— परिवहन अनुदान से संबंधित अनुदान स्वीकृति के पश्चात् उद्योग संचालनालय द्वारा परिवहन अनुदान के बजट का आवंटन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों से प्राप्त मांग के आधार पर बजट उपलब्ध होने पर किया जावेगा ।

5.4— जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा बजट आवंटन उपलब्ध होने पर ही औद्योगिक इकाई को स्वीकृत अनुदान की राशि वितरित की जावेगी। अनुदान का वितरण "अनुदान स्वीकृति" के दिनांक के क्रम में किया जावेगा ।

5.5— बजट आवंटन उपलब्ध होने पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा संबंधित वित्तीय संस्था / बैंक को अनुदान की राशि सीधे औद्योगिक इकाई के खाते में जमा करने हेतु आर.टी.जी.एस. (रियल टाइम ग्रास सेलटमेंट)/एनईएफटी प्रणाली अथवा तत्समय इकाई के खाते में सीधे अनुदान जमा करने की प्रणाली अनुसार प्रेषित की जावेगी जिसे संबंधित वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा तुरंत औद्योगिक इकाई के खाते में जमा करना होगा । अनुदान की राशि नगद में नहीं दी जायेगी ।

5.6— बजट आवंटन के अभाव में अनुदान की राशि देने में विलंब होने पर विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा ।

5.7— परिवहन अनुदान का आवंटन अग्रिम रूप से भी किया जा सकेगा ।

6— अनुदान की मात्रा —

औद्योगिक नीति 2019-24 की अवधि में प्रथम बार निर्यातित राज्य में कहीं भी स्थापित शत प्रतिशत निर्यातक इकाईयों द्वारा निर्मित उत्पादों (खदान सामग्री छोड़कर निर्यात उन्मुख उद्योगों हेतु) वस्तुओं के निर्यात के लिये निर्माण के स्थान से निकटतम बन्दरगाह एवं विमानपत्तन पोर्ट जहां से वस्तु का निर्यात होना है तक, वास्तविक भाड़ा (शासकीय शुल्क एवं करो को छोड़कर) के बराबर भाड़ा सहायता प्रदान की जायेगी। सहायता की अधिकतम सीमा राशि रु. 20 लाख रुपये प्रतिवर्ष होगी अधिकतम 05 वर्ष तक होगी ।

7— अनुदान की वसूली —

7.1— परिवहन अनुदान की राशि औद्योगिक इकाई को स्वीकृत/वितरण के पश्चात् भी यदि यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा कोई तथ्य छुपाये गए है, तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है या सही जानकारी प्रस्तुत नहीं

की गई है व इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान प्राप्त किया गया है तो अनुदान की राशि मय 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वसूली की जा सकेगी।

7.2— उपरोक्तानुसार राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया की वसूली के सामान की जा सकेगी।

7.3— स्वीकृतकर्ता अधिकारी को यह अधिकार होगा कि अनुदान का स्वत्व स्वीकृत होने के पश्चात भी नियमानुसार नहीं पाये जाने पर स्वीकृति आदेश निरस्त कर सकें एवं यदि अनुदान की राशि वित्तीय संस्था/बैंक/इकाई को भुगतान कर दी गई हो तो वसूली आदेश जारी कर सकें।

7.4— औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात यदि बाद में रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत इकाई के उत्पादन प्रारंभ करने के समय लागू करने की नीति के अनुसार उल्लेखित प्रतिशत से कम हो जाता है तो अनुदान की राशि से संबंधित स्वत्व को निरस्त कर वापस प्राप्त की जा सकेगी।

7.5— यदि औद्योगिक इकाई द्वारा प्रस्तुत निवेशक के वर्ग से संबंधित प्रमाण-पत्र/तथ्य गलत पाये जाते हैं तो इस वर्ग के उद्यमियों को दी गई आधिक्य अनुदान की राशि वसूली योग्य होगी।

7.6— उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़/ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा योजना से संबंधित या कोई जानकारी/अभिलेख मांगे जाने पर औद्योगिक इकाई द्वारा न दी जाये।

7.7— यदि औद्योगिक इकाई को पात्रता से अधिक अनुदान की प्राप्ति हो गयी हो।

7.8— उपर्युक्त बिन्दु 7.1 से 7.7 के अनुसार यथास्थिति निरस्तीकरण/अधिक दिये गये अनुदान की राशि की वसूली के आदेश स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा जारी किये जाएंगे।

8— अपील / वाद —

8.1— मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी किसी आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय को की जा सकेगी।

8.2— अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील अर्थात् द्वितीय अपील (मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा पारित मूल आदेशों के संबंध में) राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को की जा सकेगी।

8.3— सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में अपील शुल्क रुपये 1000 एवं सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में रुपये 2000 का भुगतान करने पर ही अपील स्वीकार होगी। अपील शुल्क का भुगतान प्रथम अपील करने पर ही करना होगा द्वितीय अपील पर कोई शुल्क देय नहीं होगा। अनुसूचित जाति/जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग/निःशक्तजन के प्रकरणों में कोई अपील शुल्क देय नहीं होगा।

8.4— अपील शुल्क का भुगतान विविध प्राप्तियों के तहत स्वीकार करते हुए चालान के द्वारा स्वत्व निरस्तीकरण अधिकारी/ प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किया जावेगा/जमा किया जावेगा।

8.5— अपीलीय अधिकारी को अपील करने में हुए विलंब तथा अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में हुये विलंब एवं अधिसूचना के अधीन किसी अन्य बिन्दु पर प्रकरण के गुण-दोष के आधार पर विचार कर निर्णय लेने का अधिकार होगा। अपीलीय अधिकारी द्वारा तथ्यों के आधार पर तथा अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का एक अवसर प्रदान करते हुये अपील प्रकरण का निराकरण किया जावेगा।

9 अनुदान प्राप्त औद्योगिक इकाई का दायित्व :—

(1) औद्योगिक इकाई को अनुदान की प्राप्ति के पश्चात् न्यूनतम पांच वर्षों तक उद्योग चालू रखना होगा।

(2) उपरोक्त (1) की अवधि में अकुशल, कुशल तथा प्रबंधकीय वर्ग में दिये गये रोजगार का इकाई के उत्पादन प्रारंभ करने के समय लागू नीति में उल्लेखित प्रतिशत बनाये रखना होगा।

10— कार्यकारी निर्देश —

अधिसूचना के अन्तर्गत आवश्यक कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु आयुक्त /संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ सक्षम होंगे। अनुदान से संबंधित प्रकरण के किसी विषय पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा मार्गदर्शन मांगे जाने पर आयुक्त /संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा मार्गदर्शन दिया जा सकेगा।

11— योजना का क्रियान्वयन —

योजना का क्रियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा।

12— स्वप्रेरणा से निर्णय —

भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ किसी भी अभिलेख को बुला सकेंगे/निर्णय की समीक्षा कर सकेंगे तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेंगे जैसा कि वे नियमानुसार उचित समझें, परन्तु अनुदान को निरस्त करने या उसमें कमी करने के पूर्व प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जावेगा।

13— नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

14— इस योजना के अन्तर्गत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(मनोज कुमार पिंगुआ)

प्रमुख सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

(नियम 5.2)

“छत्तीसगढ़ राज्य परिवहन अनुदान (केवल निर्यातोन्मुख उद्योगों हेतु)नियम 2019” के अन्तर्गत स्वीकृति आदेश

उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ /
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
छत्तीसगढ़

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक
दिनांक द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य परिवहन अनुदान (केवल निर्यातोन्मुख उद्योगों हेतु) नियम 2019 के नियम क्रमांक में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये इन नियमों के अधीन निम्नानुसार परिवहन अनुदान (केवल निर्यातोन्मुख उद्योगों हेतु)के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा जारी की जाती है :-

- 1- औद्योगिक इकाई का नाम व पता :
 - 2- उद्योग का स्वरूप :
 - 3- औद्योगिक इकाई का संगठन- :
 - 4- उद्यमी का वर्ग-
 - 5- उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक - :
 - 6- उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता-
 - 7- वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक
 - 8- औद्योगिक इकाई का कार्यस्थल-
(स्थान, विकास खंड व जिला)
 - 9- निर्यात आदेश क्रमांक -
 - 10- परिवहन अनुदान पर किया गया अनुमोदित व्यय-
 - 11- स्वीकृत अनुदान राशि (अंकों व अक्षरों में)
- (2) यह राशि वित्तीय वर्ष- के निम्न बजट शीर्ष में विकलनीय होगी
मांग संख्या-

(3) यह स्वीकृति इन शर्तों के अधीन है कि औद्योगिक इकाई को अधिसूचना की समस्त कंडिकाओं का पालन करना होगा, कंडिकाओं के उल्लंघन पर स्वीकृति आदेश निरस्त किया जावेगा ।

मुख्य महप्रबंधक/महाप्रबंधक
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र